

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

10
10
2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सुशीला देवगम, पिता/पति-स्व० दुर्योधन देवगम, ग्राम-डोमरडीहा, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-डोमरडीहा, थाना नं०-121, खाता नं०-35, प्लॉट नं०-762, रकवा- 0.29 एकड़ भूमि क्रेता कुंवर सिंह देवगम, पिता/पति-लखीन्द्र देवगम, ग्राम-डोमरडीहा, थाना- मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वयं के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं०-375/R27/2019-20 के द्वारा नामान्तरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 893, दिनांक 10.09.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घर मरम्मत हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता कुंवर सिंह देवगम, पिता/पति-लखीन्द्र देवगम, ग्राम-डोमरडीहा, थाना- मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। किसी को किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक सुशीला देवगम, पिता/पति-स्व० दुर्योधन देवगम, ग्राम-डोमरडीहा, थाना-मुफसिल, जिला प० सिंहभूम ने क्रेता कुंवर सिंह देवगम, पिता/पति-लखीन्द्र देवगम, ग्राम-डोमरडीहा, थाना-मुफसिल, जिला प० सिंहभूम के पास 50,000.00 (पचास हजार) रूपया में मौजा-डोमरडीहा, थाना नं०-121, खाता नं०-35, प्लॉट नं०-762, रकवा- 0.29 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित्त

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

10/10/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा